इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 मार्च 2011-फालान 23, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2011

क्र. डी-15-10-2008-चौदह-3.—समर्थन मूल्य पर ''गेहूँ'' की खरीदी का अधिक से अधिक लाभ कृषकों को दिये जाने के उद्देश्य से समर्थन मूल्य पर राज्य शासन के द्वारा प्रोत्साहन राशि (बोनस)की घोषणा की गयी है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग करते हुये, एतद्द्वारा, समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये राज्य शासन के द्वारा नियुक्त संस्था अथवा ऐसी संस्था के द्वारा नियुक्त एजेन्सी के माध्यम से ''गेहूँ'' की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की स्थिति में राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2011 में घोषित प्रोत्साहन राशि (बोनस) पर देय मण्डी फीस से छूट देता है :

परन्तु मण्डी फीस के भुगतान से यह छूट केवल राज्य शासन के द्वारा वर्ष 2011, हेतु घोषित प्रोत्साहन राशि (बोनस) पर मान्य होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2011

क्र. डी-15-10-2008-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 मार्च 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृहारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 14th March 2011

No. D-15-10-2008-XIV-3.— With a view to maximize the benefit to farmers, State Government has declared Bonus for procurement of "Wheat" on minimum support price.

In exercise of the powers conferred sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, exempt the Organisation(s) appointed by the State Government for procurement of "Wheat" on minimum support price and or agency(s) appointed by the said Organisation for the purpose, from payment of market fee, payable on the said Bonus declared by the State Government for the year 2011:

Provided that the above exemption from payment of market fee shall only be on the Bonus declared by the State Government for the year 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.